

संख्या 12014/09/2024-MMF

भारत सरकार

वस्त्र मंत्रालय

दिनांक: 20 फरवरी 2025

उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के लिए परिचालन दिशानिर्देशों में संशोधन

वस्त्र के लिए पीएलआई योजना के लिए योजना दिशानिर्देश 28 दिसंबर 2021 को जारी किए गए थे और 09.06.2023, 09.10.2024 और 12.11.2024 को संशोधित किए गए थे। 12.11.2024 को जारी दिशानिर्देशों की निरंतरता में और प्रारंभिक प्रोत्साहन संवितरण के लिए उद्योग के अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित संशोधन निम्नानुसार हैं:

| क्र.सं. | खंड | संशोधित खंड |
|---------|-------------|---|
| 18.2.1 | संशोधित खंड | एक प्रतिभागी कंपनी (कंपनियां) त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक आधार पर प्रोत्साहन के संवितरण के लिए एक अनंतिम दावा प्रस्तुत करने का विकल्प चुन सकती है जिसमें विचाराधीन वर्ष के लिए पात्रता मानदंड पूरे किये गए हैं। निवेश/बिक्री के लिए, आवेदक को वैधानिक लेखा परीक्षक प्रमाणित अचल संपत्ति रजिस्टर और लेखा परीक्षित/अनंतिम वित्तीय विवरण प्रस्तुत करना होगा। |
| 18.2.4 | संशोधित खंड | 18.2.2 में उल्लिखित बैंक गारंटी निम्नलिखित मामलों में लागू की जाएगी: - प्रतिभागी कंपनी ने प्रासंगिक दावा अवधि के लिए अगले वर्ष 31 दिसंबर तक वार्षिक अंतिम दावा प्रस्तुत नहीं किया है। या 60 दिनों की अवधि के भीतर पीएमए द्वारा अंतिम मूल्यांकन के बाद प्रतिभागी कंपनी अयोग्य है। |



(शुभ्रा)

व्यापार सलाहकार

वस्त्र मंत्रालय

दूरभाष: 011-23063625

ईमेल: shubhra.ag@nic.in

नई दिल्ली

दिनांक: 20 फरवरी 2025

प्रतिलिपि:

1. भारत सरकार के सभी संबंधित मंत्रालय/विभाग
2. सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र